कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–वित्त/बजट) मध्यप्रदेश,
प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल, 462004

क्रमांक/कक्ष–03/बजट–1/एफ–   /2017/2347   भोपाल, दिनांक 22/8/17

प्रति,

समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी
मध्य प्रदेश।

विषयः–आवंटित बजट का सही उपयोग करने के संबंध में।

– 0 –

विभिन्न वनमंडलाधिकारियों को उनकी मांग एवं बजट उपलब्धता के आधार पर मुख्यालय की बजट शाखा से विभिन्न हेडों में बजट आवंटित किया जाता है। पिछले कुछ माहों के आंतरिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट के दौरान यह तथ्य देखने में आया है कि मुख्यालय के बजट शाखा द्वारा मांग के आधार पर वनमंडलाधिकारियों को बजट आवंटित किया गया है परन्तु वनमंडलाधिकारी द्वारा उक्त आवंटित राशि को अन्य कार्यो में व्यय कर दिया गया।

कुछ वनमंडलाधिकारी ने मुख्यालय से श्रमिकों के भुगतान के लिये मजदूरी मद में राशि की मांग की गई तथा मुख्यालय द्वारा मांग के आधार पर बजट भी आवंटित कर दिया गया। आंतरिक लेखा परीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवंटित मजदूरी की राशि से सामग्री जैसे ईट, लोहा, सीमेन्ट आदि का क्रय कर लिया गया। इसी तरह उद्देश्य शीर्ष 22–008 अन्य आकस्मिक व्यय के मद से फर्नीचर तथा कम्प्यूटर उपकरण आदि का क्रय कर लिया गया है। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है। वित्त/बजट शाखा द्वारा इस वित्तीय वर्ष में जो भी बजट आवंटित किया जा रहा है उसके भौतिक निरीक्षण के लिये बजट शाखा के कर्मचारियों को आपके वनमंडल में निरीक्षण हेतु आकस्मिक रूप से भेजा जा सकता है जैसे--निर्धारित आवंटित बजट हेड से ही शासकीय भवनों की पुताई का कार्य, नलकून उत्खनन कार्य हुआ या नहीं आदि।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.04.2017 से मुख्यालय स्तर से स्कीम क्रमांक 6218, 0792, 9136, 9137, 9138 आदि योजना के अंतर्गत आपको जिन कार्यो हेतु राशि आवंटित की गई है उन्हें उसी कार्यो में व्यय किया गया है या नही इसके निरीक्षण का कार्य माह अक्टूबर 2017 से संचालक (वित्त/बजट) की अध्यक्षता में बजट शाखा के कर्मचारियो द्वारा रेण्डम आधार पर किया जायेगा। यह पाया गया कि जिस हेड में बजट आवंटित किया गया

उसी बजट हेड के निर्धारित कार्य से हटकर कार्य किया गया है तो इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुये कार्यवाही की जायेगी। अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

[प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित]

22/8/17

(अशोक भाटिया)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/कक्ष–03/बजट–1/एफ– /2017/2348 भोपाल, दिनांक 22/8/17

प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त म0प्र0।

की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वृत्त अंतर्गत आने वाले समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से उक्त निर्देश का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

[प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित]

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश, भोपाल